आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

पी.डी.एस. पुनरीक्षण वाद संख्या–08 / 2022
माया दूबे
बनाम
राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ ।
23.01.2023	प्रस्तुत पुनरीक्षणवाद माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–6224 / 2021 में दिनांक 23.12.2021 को पारित आदेश के आलोक में दायर किया गया है तथा यह वाद समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के वाद सं0 22 / 2018 में दिनांक 29.11.2019 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है, माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पारित समादेश दिनांक 23.12.2021 में अंकित है किः– **" In case the petitioner files representation/revision before the concerned Divisional Commissioner within four weeks from today, the same shall be considered on merits and disposed of within a period of eight weeks there after."** दिनांक 06.09.2018 को पूर्वाहन 10:20 बजे अनुमंडल पदाधिकारी, अरेराज द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के दुकान की निरीक्षण की गई। निरीक्षण के समय दुकान बंद पाया गया तथा पुनरीक्षणकर्ता अनुपस्ति थे। निरीक्षण के दौरान निन्नलिखित अनियमितताएं पायी गयीः– 1. मूल्य–सह–भण्डार प्रदर्शन पट्ट नहीं पाया गया। 2. पोषक क्षेत्र के उपभोक्ता भागवती देवी, तारा देवी, अमरावती देवी, रीता देवी तथा प्रतिमा देवी आदि के कार्डो के अवलोकन में	

WEB COPY NOT OFFICIAL

पाया गया कि माह अगस्त 2018 का राशन उपभोक्ताओं को नहीं दिया गया है।

3. पोषक क्षेत्र के उपभोक्ताओं के कार्ड में भी किरासन तेल की प्रविष्टि नहीं पायी गयी।

उक्त अनियमितता के विरूद्ध अनुमंडल पदाधिकारी, अरेराज ने अपने पत्रांक 339 दिनांक 15.09.2018 के द्वारा पुनरीक्षणकर्ता से स्पष्टीकरण की मांग की, जिसके साथ निरीक्षण प्रतिवेदन की छायाप्रति भी उपलब्ध करायी गई। पुनरीक्षणकर्ता ने अपना स्पष्टीकरण दिनांक 27.09.2018 को समर्पित किया। उनके स्पष्टीकरण में अनियमितताओं के संबंध में कोई भी साक्ष्य आधारित एवं तथ्यपरक बात नहीं पाते हुए अनुज्ञप्ति पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, अरेराज ने उनके स्पष्टीकरण से असहमति जताते हुए नैसर्गिक न्याय के हित में उनसे पुनः द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की। पुनरीक्षणकर्ता ने दिनांक 06.10.2018 को अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया जिसे अनुज्ञप्ति पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, संतोषप्रद नहीं पाते हुए अपने आदेश ज्ञापांक 01(गो0) दिनांक 27.10.2018 से उनकी अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षणकर्ता ने समाहर्त्ता नयायालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी में वाद सं0 22/2018 दायर किया । समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी ने पुनरीक्षणकर्ता को सुनवाई का समूचित अवसर प्रदान करते हुए वाद के गुण दोष पर विचारोपरांत अपने मुखर आदेश दिनांक 29.11.2019 से पुनरीक्षणकर्ता के अपील आवेदन को खारिज कर दिया, जिसके विरूद्ध पुनरीक्षणकर्ता ने माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No. 6224/2021 दायर किया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.12.2021 के आलोक में यह वाद इस न्यायालय में दायर।

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार पुनरीक्षणकर्ता एक प्रमाणिक बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनुज्ञप्तिधारी

WEB COPY NOT OFFICIAL

है, जिनकी अनुज्ञप्ति सं0–39/2016 है। वे लम्बे समय से जन वितरण प्रणाली के दुकान का संचालन जन वितरण प्रणाली के नियमावली के नियम एवं शर्तो का उल्लंघन किये बिना करते आ रहे थे। दिनांक 06.09. 2018 को पुनरीक्षणकर्ता के दुकान के निरीक्षण के क्रम में पायी गयी अनियमितता पर अनुमंडल पदाधिकारी ने उनसे स्पष्टीकरण की मांग की, जिसका जवाब पुनरीक्षणकर्ता द्वारा ससमय समर्पित किया गया। बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण (नियंत्रण) आदेश 2016 के कंडिका 25 (i) के विरूद्ध उनके उनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया। आगे इनका कहना है कि निरीक्षण के दिन पुनरीक्षणकर्ता अपनी लड़की की शादी हेतु पंडाल बांधने गये थे, जिस कारण उक्त तिथि को दुकान बंद थी। एक दिन दुकान बंद रहने के कारण अनुज्ञप्ति को रद्द करना न्यायोचित नहीं है। इनका दावा है कि जिन उपभोक्ताओं द्वारा आरोप लगाया गया था उनमें से भागवती देवी वितरण पंजी के क्रमांक 82 पर, तारा देवी क्रमांक 88 पर, उमरावती देवी क्रमांक 81 पर, रीता देवी क्रमांक 87 पर, तथा प्रतिमा देवी क्रमांक 89 पर निशान दर्ज है, जिससे यह साबीत होता है कि उन उपभोक्ताओं ने माह अगस्त 2018 के खाद्यान्न का उठाव किया है। पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा प्रत्येक माह किरासन तेल का वितरण किया जाता रहा है, जिसका अवलोकन वितरण पंजी से भी किया जा सकता है। निम्न न्यायालय ने नैसर्गिक न्याय एवं आपूर्ति विभाग के प्रावधानों के विरूद्ध अपना आदेश पारित किया है, जो गलत एवं खारिज होने योग्य है।

वही विद्वान विशेष लोक अभियोजक, मुजफ्फरपुर का कहना है कि पुनरीक्षणकर्ता दूकान हमेशा बंद रखते थे। अपने स्पष्टीकरण के साथ पुनरीक्षणकर्ता द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। निम्न न्यायालय ने सभी वैधानीक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए अपना आदेश पारित किया है जिसमे कोई त्रुटि नही है।

पुनरीक्षणकर्ता को उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से सुनने,

WEB COPY NOT OFFICIAL

वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख में पोषित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 06.09.2018 को अनुज्ञप्ति पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, अरेराज द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेता के दुकान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में पायी गयी अनियमितता के विरूद्ध अनुमंडल पदाधिकारी, अरेराज के पत्रांक 339, दिनांक 15.08.2018 के द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेता से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। जन वितरण प्रणाली विक्रेता से प्राप्त स्पष्टीकरण से असहमत होते हुए पुनः अनुज्ञप्ति पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, अरेराज ने अपने पत्रांक 359 दिनांक 29.09.2015 के माध्यम से पुनरीक्षणकर्ता से द्वितीय कारण पृच्छा करते हुए, प्राप्त कारण पृच्छा से असहमत होने पर इनके अनुज्ञप्ति को अपने पत्रांक 01 (गो0) दिनांक 27.10.2018 से रद्द किये जाने का आदेश दिया है। उक्त आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षणकर्ता ने समाहर्त्ता न्यायालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी में वाद सं0 22/2018 दायर किया। समाहर्त्ता न्यायालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी ने पुनरीक्षणकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए अपने मुखर आदेश दिनांक 29.11.2019 से उनके अपील आवेदन को खारिज करने का आदेश दिया है। उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अनुज्ञप्ति पदाधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकार ने सभी वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए नैसर्गिक न्याय के तहत अपना आदेश पारित किया है, जिसमें कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं है।

अब जहां तक पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की बात है तो इस संबंध में उनके द्वारा यह कहा जाना की अपने पुत्री की शादी हेतु पंडाल बंधवाने गये थे, इसलिए दुकान बंद थी, उनके स्वीकारोक्ति को दर्शाता है तथा उनके उपर निरीक्षण की तिथि को दुकान बंद होने जैसे आरोप को प्रमाणित करता है। पुनरीक्षणकर्ता का यह कृत्य बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण), आदेश 2016 के नियम 14(x),(xii) एवं 15(i) के प्रतिकूल है।

WEB COPY NOT OFFICIAL

	पुनरीक्षणकर्ता द्वारा माह अगस्त 2018 का खाद्यान्न वितरण नही करना एवं राशन कार्डो में माहवार किरासन तेल की प्रविष्टियां नहीं करना यह परिलक्षित करता है कि पुनरीक्षणकर्ता ने फुड कैलैण्डर के नियमों का अनुपालन नहीं किया है, जो बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण), आदेश 2016 के नियम 25(i),(घ) का उल्लंघन है। साथ ही इतने दिनों तक खाद्यान्न का उठाव कर वितरण नहीं करने जैसा कृत्य इनके कालाबाजारी में संलिप्तता को प्रमाणित करता है, जो बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण), आदेश 2016 के कंडिका 25 (i) मे वर्णित माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका 196/01 के भी प्रतिकूल है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में निम्न न्यायालय के पारित आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं पाते हुए प्रस्तुत पुनरीक्षणवाद खारिज किया जाता है। **लेखापित एवं संशोधित** **आयुक्त** **आयुक्त**	

WEB COPY NOT OFFICIAL